

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 24/2019 राजस्व अपील

1. महेश पुत्र रामगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम राणोली उप तहसील बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय उपतहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 10.09.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम महेश प्रकरण संख्या 53/2018 अन्तर्गत धारा राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थिति : श्री गोरधन गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्त उप0।
: श्री चन्द्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता उप0।

—: निर्णय :—


दिनांक: 28.06.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का ने अपीलान्त के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्त ने संवत् 2075 में ग्राम राणोली की भूमि खसरा नं0. 217 रकबा 0.02 है0 किस्म चरागाह पर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बिना कोई सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 10.09.2018 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 10.09.2018 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा का यह निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय का कोई नोटिस नहीं मिला ना ही अपीलान्त की असालतन तामील ही हुई है। बिना तामील हुए ही इकतरफा में निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्त को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्त ने किसी भी




अतिरिक्त जिला कलक्टर
दौसा



प्रकरण संख्या : 24 / 2019 राजस्व अपील

चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना भी साबित नहीं हुआ है। बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित किये बिना अपीलान्त को अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10.09.2018 में से 30 दिन के सिविल कारावास की सजा के दण्ड को निरस्त करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्त ने संवत् 2075 में ग्राम राणोली में स्थित भूमि खसरा नं०. 217 रकबा 0.02 है० किस्म चरागाह पर आवास व बाडा बनाकर अतिक्रमण करने पर अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 10.09.2018 को बेदखल करने एवं 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलान्त को जारी नोटिस की तामील भी हुई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 10.09.2018 में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मुकदमा नम्बर 53/2018 उनवानी सरकार बनाम महेश में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.09.2018 के विरुद्ध अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दोसा





(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दोसा

